[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 12/2017- केंद्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. .... (अ)– केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, समस्त उत्पाद शुल्क्य माल [अपरिस्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्प्रिट (सामान्यत: पेट्रोल के रूप में ज्ञात) प्राकृतिक गैस, विमानन टर्बाइन ईंधन, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद] को, उक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करती है :-

(क) माल का विनिर्माण 30 जून, 2017 को या उससे पहले किया गया होना चाहिए किन्तु 1 जुलाई, 2017 से पहले उत्पादन करने वाले कारखाने से निकासी नहीं हुई हो ; और

(ख) ऐसे माल पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या एकीकृत कर संदेय होगा, यदि 1 जुलाई, 2017 को या उसके पश्चात् निकासी हुई है । जैसा कि ऐसे माल पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) या संबंधित राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार